



श्रीमान् जी,

LCMS: 2020/00197

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी राजेन्द्र चुघ पुत्र नारायण दास चुघ जाति अरोडा निवासी 41 एल ब्लॉक तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता नारायण दास चुघ पुत्र दल्लू राम जाति अरोडा निवासी 41 एल ब्लॉक तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.02.2016 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 05.02.2018 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 22.02.2016 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह विक्रम धींगडा पुत्र केवल कृष्ण एवं मोहन लाल पुत्र घनश्याम दास ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

Handwritten signature
21/1/20

जिला पंजीयक महोदय

4